R 434-I-17

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../...........................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार	-		श्री डिल्ली प्रसाद गौंड़ पिता श्री दुर्गा प्रसाद गौंड़ ग्राम पिपरियाखुर्द खमरिया नीमखेड़ा, तहसील व जिला जबलपुर
			विरूद्ध -
अनावेदक	-	1.	श्री धनीराम यादव पिता अनारीलाल यादव, निवासी पिपरियाखुर्द खमरिया नीमखेड़ा, तह. व जिला जबलपुर
		2.	म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **70/अ-21/2016-17** में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 20/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी डिल्ली प्रसाद गौंड़ पिता श्री दुर्गा प्रसाद गौंड़ निवासी ग्राम ग्राम पिपरियाखुर्द खमरिया नीमखेड़ा, तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **पिपरियाकला** प.ह.नं. 78 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 42, 43, रकवा क्रमश0.430, 0.440 हेक्टेयर कुल रकवा 1.160हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी (1) श्री विजय चौबे पिता श्री जयराम चौबे निवासी म.नं. 40 पिपरियाकला थाना बरेला ,तहसील व जिला जबलपुरे वालों को एवं ग्राम पिपरियाखुर्द प.ह.नं.77 रा.नि.मं.खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं.81 रकवा 0.290 हेक्टेयर (2) श्री धनीराम यादव पिता अनारीलाल यादव, निवासी पिपरियाखुर्द खमरिया नीमखेड़ा, तह. व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2016 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
3. उक्त क्रेतागण में से क्रेता क्रं. (2) श्री विजय चौबे पिता जयराम चौबे निवासी पिपरियाखुर्द

-2-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 434-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 70/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम पिपरिया कला प.ह.नं. 78 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 42, 43 रकबा क्रमशः 0.430 एवं 0.440 हैक्टर कुल रकबा 0.870 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 श्री धनीराम यादव को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 19-12-16 को पंजीबद्ध कर दिनांक 20-2-17 के लिए नियत किया गया । इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 16-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण पूर्ववत दिनांक 20-2-17 के लिए नियत किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दी गई है । आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है । आवेदक को कर्ज अदा करने आदि के कारण रूपयों की आवश्यकता है । अनावेक क्रमांक 1 प्रश्नाधीन भूमि को वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य पर भूमि क्रय करने को तैयार है । आवेदक द्वारा जो आधार दिए गए हैं वे भूमि विक्रय की अनुमति देने हेतु पर्याप्त हैं । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है, अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं । अंत में उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है । आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा क्रय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास विक्रय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त 1.720 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में	

डिल्ली प्रसाद गौंड विरूद्व श्री धनीराम यादव

BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक - निग0 434-एक/17 जिला - जबलपुर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिपरिया कला प.ह.नं. 78 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 42, 43 रकबा क्रमशः 0.430 एवं 0.440 कुल रकबा 0.870 हैक्टर भूमि को अनावेदक क्रमांक-1/ गैर आदिम जनजाति के सदस्य को निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा

निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

डिल्ली प्रसाद गोंड विरूद्ध धनीराम आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग. 434–एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष ग्राम पिपरिया कलां की भूमि के अतिरिक्त ग्राम पिपरिया खुर्द खमरिया नीमखेड़ा, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 81 रकबा 0.290 हेक्टर को भी विकय करने की अनुमति हेतु आवेदन दिया गया था और इसका उल्लेख उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी आवेदन में भी किया है किंतु इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–17 में टंकण की त्रुटिवश ग्राम पिपरिया खुर्द स्थित खसरा नं. 81 रकबा 0.291 का उल्लेख आदेश में नहीं हो पाया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा आदेश में तद्नुसार संशोधन किए जाने का निवेदन किया गया । उपस्थित शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि प्रकरण के अवलोकन से होती है । अतः न्यायहित में इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 6–2–17 में संशोधन करते हुए आवेदक को ग्राम पिपरिया खुर्द खमरिया नीमखेड़ा, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 81 रकबा 0.290 हेक्टर को भी अनावेदक कं. 1/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विकय करने की अनुमति दी जाती है । आदेश की शर्तें यथावत रहेंगी तथा यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । सदस्य	